

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन
भोपाल - 462004

क्रमांक/5/यो/बी/2008/1370

भोपाल, दिनांक 30/8/2008

विश्वविद्यालय से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रति,

प्राचार्य,
मंजूला के पोण्डा कालेज ऑफ मैनेजमेंट
लाम्बाखेडा बैरासिया रोड, भोपाल

विषय:- विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 28 (1) के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।
संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र, दिनांक 10.7.2008

.....000.....

श्री कपिल पोण्डा मेमोरियल शिक्षण समिति, भोपाल के द्वारा संचालित संस्था ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (v) के अंतर्गत एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक 513946, दिनांक 7.7.2008 जमा कराते हुये आवेदन प्रस्तुत किया है।

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम / विषय	निवमित/ अंशकालीन	वार्षिक प्रवेश क्षमता	शैक्षणिक सत्र
मंजूला के पोण्डा कालेज ऑफ मैनेजमेंट, लाम्बाखेडा बैरासिया रोड, भोपाल	एम.बी.ए.	नियमित	60	2008-09

उक्त आवेदन में दी गई जानकारी एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर द्वितीय वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा नीचे बताई गई शर्तों के अध्याधीन जारी किया जाता है:-

1. उक्त संस्था द्वारा शासन से अनुदान की मांग नहीं की जावेगी।
2. महाविद्यालय "लाभ-हानि" के आधार पर नहीं चलाया जावेगा।
3. स्वीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा निर्धारित मन्त्रदण्ड के अनुसार एवं स्वीकृत प्रवेश क्षमता के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किये जायेंगे।

निरंतर

4. शासन के विद्यमान निर्देशों एवं समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावेगा एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आधारभूत सुविधायें इस पाठ्यक्रम के लिये अलग से एक वर्ष की अवधि में उपलब्ध करायी जावेगी।
5. संस्था तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा निर्धारित विनियमों का पालन करेगी।
6. जिन शर्तों के अधीन संस्था को राज्य शासन/आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, संस्था उन शर्तों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करेगी।
7. संस्था संचालक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन के साथ किये गये बंध-पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

अतः आवेदक संस्था यथा मंजूला के पोण्डा कालेज ऑफ मैनेजमेंट, लाम्बाखेडा बैरासिया रोड, भोपाल। विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26 (1) (अ) के अंतर्गत विद्या परिषद तथा धारा 24 (xii) के अंतर्गत कार्य परिषद की अनुमति हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें।

संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/5/यो/बी/2008/.....

भोपाल, दिनांक2008

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल। कृपया उपरोक्त संस्था के संबद्धता प्रकरण में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

सहायक/—
संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

⑥

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन भोपाल - 462004

क्रमांक/4/शैक्ष/जी/2013/

भोपाल, दिनांक2013

विश्वविद्यालय से संबंधिता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रति,

प्राचार्य,
मन्जुला के पोन्डा
कालेज ऑफ मैनेजमेंट, लम्बाखेड़ा
बेरसिया रोड, भोपाल।

विषय:-विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 (1) के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
संदर्भ:-आपका आवेदन पत्र दिनांक 23/05/2013.

—00—

श्री कपिल पोन्डा मेमोरियल शिक्षण समिति, भोपाल के द्वारा संचालित संस्था ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (v) के अंतर्गत एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की प्रथम/द्वितीय वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क रुपये 15,000/- (रुपये पंद्रह हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक-673033 दिनांक 17.05.2013 जमा कराते हुये आवेदन प्रस्तुत किया है।

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम/ विषय	नियमित/ अंशकालीन	वार्षिक प्रवेश क्षमता	शैक्षणिक सत्र
मन्जुला के पोन्डा कालेज ऑफ मैनेजमेंट, लम्बाखेड़ा बेरसिया रोड, भोपाल।	एमबीए	नियमित	प्रथम 180 द्वितीय 120	2013-2014

उक्त आवेदन में दी गई जानकारी एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा नीचे बताई गई शर्तों के अध्याधीन जारी किया जाता है :-

1. उक्त संस्था द्वारा शासन से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
2. महाविद्यालय "लाभ-हानि" के आधार पर नहीं चलाया जावेगा।
3. स्वीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार एवं स्वीकृत प्रवेश क्षमता के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किये जायेंगे।

4. शासन के विद्यमान निर्देशों एवं समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावेगा एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आधारभूत सुविधायें इस पाठ्यक्रम के लिये अलग से एक वर्ष की अवधि में उपलब्ध करायी जावेगी।
5. संस्था तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा निर्धारित विनियमों का पालन करेगी।
6. जिन शर्तों के अधीन संस्था को राज्य शासन/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, संस्था उन शर्तों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करेगी।
7. संस्था संचालक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन के साथ किये गये बंध-पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

अतः आवेदक संस्था यथा मन्जुला के पोंडा, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, लम्बाखेड़ा बेरसिया रोड, भोपाल। अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (अ) के अंतर्गत विद्या परिषद् तथा धारा 24 (xii) के अंतर्गत कार्य परिषद् की अनुमति हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें।


संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ० क्रमांक/4/शैक्ष/जी/2013/787

भोपाल, दिनांक 31/5/2013

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. कुल सचिव, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल कृपया उपरोक्त संस्था के संबंधित प्रकरण में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।


संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन भोपाल - 462004



क्रमांक/4/शैक्ष./जी/2014/12/19

भोपाल, दिनांक : 14/7/2014

विश्वविद्यालय से संबंधिता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रति,

✓ प्राचार्य,
मंजुला के. पोण्डा कॉलेज ऑफ मैनेजमेण्ट,
न्यू चौकसे नगर, लाम्बाखेड़ा, बैरसिया रोड,
भोपाल-462038, मध्यप्रदेश।

विषय:-विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 (1) के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
संदर्भ:-आपका आवेदन पत्र दिनांक : 24/06/2014.

-000-

श्री कपिल पोण्डा मेमोरियल शिक्षा समिति, भोपाल के द्वारा संचालित संस्था ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (v) के अंतर्गत एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की प्रथम/द्वितीय वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का बैंक ड्रॉफ्ट क्रमांक 141286 दिनांक 17/06/2014 जमा कराते हुये आवेदन प्रस्तुत किया है।

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम/विषय	नियमित/अंशकालीन	वार्षिक प्रवेश क्षमता	शैक्षणिक सत्र
मंजुला के. पोण्डा कॉलेज ऑफ मैनेजमेण्ट, भोपाल	एम.बी.ए.	नियमित	प्रथम - 240 द्वितीय - 180	2014-2015

उक्त आवेदन में दी गई जानकारी एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा नीचे बताई गई शर्तों के अध्याधीन जारी किया जाता है :-

1. उक्त संस्था द्वारा शासन से अनुदान की मांग नहीं की जावेगी।
2. महाविद्यालय "लाभ-हानि" के आधार पर नहीं चलाया जावेगा।

निर्वाह-2/

//2//

3. स्वीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार एवं स्वीकृत प्रवेश क्षमता के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किये जायेंगे।
4. शासन के विद्यमान निर्देशों एवं समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावेगा एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आधारभूत सुविधायें इस पाठ्यक्रम के लिये अलग से एक वर्ष की अवधि में उपलब्ध करायी जावेगी।
5. संस्था तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा निर्धारित विनियमों का पालन करेगी।
6. जिन शर्तों के अधीन संस्था को राज्य शासन/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, संस्था उन शर्तों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करेगी।
7. संस्था संचालक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन के साथ किये गये बंध-पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

अतः आवेदक संस्था यथा मंजुला के, पोण्डा कॉलेज ऑफ मैनेजमेण्ट, भोपाल, विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (अ) के अंतर्गत विद्या परिषद् तथा धारा 24 (xii) के अंतर्गत कार्य परिषद् की अनुमति हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शैक्ष./जी/2014/

भोपाल, दिनांक : / /2014

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. कुल सचिव, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल कृपया उपरोक्त संस्था के संबंधिता प्रकरण में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन भोपाल - 462004

क्रमांक/4/शैक्ष./जी/2015/1064

भोपाल, दिनांक : 9/7/2015

विश्वविद्यालय से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रति,

प्राचार्य,
मंजुला के. पोण्डा कॉलेज ऑफ मैनेजमेण्ट,
न्यू चौकसे नगर, लाम्बाखेड़ा, बैरसिया रोड,
भोपाल-462038, मध्यप्रदेश।

विषय:-विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 (1) के अंतर्गत अनापत्ति
प्रमाण-पत्र।

संदर्भ:-आपका आवेदन पत्र दिनांक : 18/06/2015.

-000-

श्री कपिल पोण्डा मेमोरियल शिक्षा समिति, भोपाल के द्वारा संचालित संस्था ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (v) के अंतर्गत एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की प्रथम/द्वितीय वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का बैंक ड्रॉफ्ट क्रमांक 045604 दिनांक 16/06/2015 जमा कराते हुये आवेदन प्रस्तुत किया है।

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम/विषय	नियमित/ अंशकालीन	वार्षिक प्रवेश क्षमता	शैक्षणिक सत्र
मंजुला के. पोण्डा कॉलेज ऑफ मैनेजमेण्ट, भोपाल	एम.बी.ए.	नियमित	240 -	2015-2016

उक्त आवेदन में दी गई जानकारी एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा नीचे बताई गई शर्तों के अध्याधीन जारी किया जाता है :-

1. उक्त संस्था द्वारा शासन से अनुदान की मांग नहीं की जावेगी।
2. महाविद्यालय "लाम-हानि" के आधार पर नहीं चलाया जावेगा।

निर्धार 3/-

//2//

3. स्वीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार एवं स्वीकृत प्रवेश क्षमता के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किये जायेंगे।
4. शासन के विद्यमान निर्देशों एवं समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आधारभूत सुविधायें इस पाठ्यक्रम के लिये अलग से एक वर्ष की अवधि में उपलब्ध करायी जावेगी।
5. संस्था तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा निर्धारित विनियमों का पालन करेगी।
6. जिन शर्तों के अधीन संस्था को राज्य शासन/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, संस्था उन शर्तों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करेगी।
7. संस्था संचालक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन के साथ किये गये बंध-पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

अतः आवेदक संस्था यथा मंजुला के. पोण्डा कॉलेज ऑफ मैनेजमेण्ट, भोपाल, विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (अ) के अंतर्गत विद्या परिषद् तथा धारा 24 (xii) के अंतर्गत कार्य परिषद् की अनुमति हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें।


संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शैक्ष./जी/2015/1065

भोपाल, दिनांक 2/07/2015

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. कुल सचिव, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल कृपया उपरोक्त संस्था के संबंधिता प्रकरण में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।


संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

